न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 6 / 2021 दायर दिनांक 02.08.2021

उनवान

1. लक्ष्मण पिता स्व0 राधू जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
2. हेमराम पिता स्व0 राधू जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
3. नारायणी पिता स्व0 राधू पत्नी लक्ष्मण जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन हाल मुकाम पायरी तहसील व जिला चित्तौडगढ (राज0)।
4. बाली पिता स्व0 राधू पत्नी शेषमल जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन हाल हरनाथपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ (राज0)।
5. झमकू पिता स्व0 राधू पत्नी रतन जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन हाल हरनाथपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ (राज0)।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. तुलसीराम पिता राधु जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
2. गोपी पिता राधु पत्नी कैलाश जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)। हाल मेघपुरा तहसील जावद जिला नीमच (म0प्र0)।
3. डायली पुत्री राधु पत्नी गोवर्धन जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
4. मुन्ना पुत्री राधु पत्नी देवीलाल जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)। हाल केली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
5. पानी पत्नी राधु जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
6. मांगीलाल पिता हीरा जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
7. उंकारी पिता हीरा पत्नी स्व0 भैरू जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)। हाल हरनाथपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
8. जमना पिता हीरा पत्नी किशनलाल जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
9. देवराम पिता राधू जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
10. लालूराम पिता राधु जाति काच्छी आयु वयस्क निवासी काच्छीयाखेडी तहसील कपासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:48:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला चित्तौडगढ (राज0)।

11. ग्राम पंचायत बालारडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बालारडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

12. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

रेस्पोडेन्ट्स

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील विरूद्ध</u>

<u>आदेश नामान्तरण सं 531, दिनांक 05.05.2021</u>

निर्णय दिनांकः 07.04.2022

<u>–: निर्णयः–</u>

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के अपीलान्ट ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा काच्छीयाखेडी पटवार हल्का बालारडा तहसील कपासन में आराजी सं. 671 रकबा 0.07 है0 व आ0स0 672 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 है0 स्थित है जो अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 9 व 10 के पिता राधू पिता काना काच्छी के नाम दर्ज रेकार्ड थी अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 9 व 10 के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् जायज वारीस अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 9 व 10 है। राधू पिता काना के स्वर्गवास के पश्चात् उनके जायज वारीस अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 9 व 10 के नाम नामान्तरण खोला जाना चाहिये था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय एवं राजस्व कर्मचारीयो ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 से लगायत 5 से मिलीभगत कर अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं0 9 व 10 के बजाय रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 5 के नाम नामान्तरण खोल दिया व उक्त वर्णित आराजीयात से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 9 व 10 को वंचित कर दिया है जबकि राजस्व कर्मचारीयो की नैतिक जिम्मेदारी है मृतक के सही वारीसो की जांच करके नामान्तरण खोले जो नही खोल कर आनन– फानन मे रेस्पोडेन्ट सं0 1 से लगायत 5 तक से मिलीभगत कर रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 5 तक के नाम नामान्तरण खोल दिया गया है जो नामान्तरण निर्णित करने मे भारी भूल की है, जबकि रेस्पोडेन्ट सं0 1 से लगायत 4 के पिता का नाम व रेस्पोडेन्ट सं0 5 के पति का नाम राधू पिता किशना है इस कारण नागान्तरण सं0 531 निर्णित दिनांक 05.05.2021 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

यह कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से लगायत 5 तक ने अपने नाम पर राजस्व कर्मचारीयो से तथा पंच सरपंच से मिलकर नामान्तरण निर्णि[illegible]र राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 5 के नाम दर्ज कर दिया है जो उक्त आराजीयात किसी अन्य के नाम विक्रय कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है इस कारण रेस्पोडेन्ट सं0 1 से लगायत 5 व 11 व 12 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 से लगायत 5 उक्त आराजीयात का विक्रय ना करे व रेस्पोडेन्ट सं0 11 व 12 राजस्व रेकार्ड में कोई परिवर्तन ना करे रेस्पोडेन्ट सं0 6 से 10 उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:48:47 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि अपीलान्टगण को उक्त नामान्तरण सं0 531 के निर्णय होने का ध्यान दिनांक 19.07.2021 को अपीलान्ट के गांव के लोगो से पता हुआ कि अपीलान्ट की आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं0 1 से लगायत 5 तक ने अपने नाम नामान्तरण खुलवा लिया है और वह लोग उक्त आराजीयात को विक्रय कर खुर्द बुर्द करने को आमादा है इस कारण अपीलान्ट ने राजस्व रेकार्ड की नकल दिनांक 22.07.2021 को प्राप्त की और रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 5 तक से सम्पर्क कर कहा कि हमारे बाप दादाओ की जमीन का नामान्तरण तुमने तुम्हारे नाम पर कैसे खुलवा लिया तो उन लोगो ने कहा कि हमारे जो करना था कर लिया और उक्त आराजीयात को हम बैच भी देगें तुम्हे जो करना हो जो कर लो इस कारण अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरण व राजस्व रेकार्ड का पता होते ही बिना देरी के उक्त अपील पेश की है।

यह कि नामान्तरण सं0 531 दिनांक 05.05.2021 को निर्णित हुआ है जिसका ज्ञान अपीलान्ट को दिनांक 19.07.2021 को हुआ जिसकी नकले दिनांक 22.07.2021 को प्राप्त की तत्पश्चात अपीलान्ट सं0 3, 4 व 5 बाहर गांव होने से अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कराने अपीलान्ट सं0 एक को अपीलान्ट सं0 3, 4 व 5 के गांव जाकर हस्ताक्षर कराने पडे हस्ताक्षर करा उक्त अपील दिनांक 30.07.2021 को आप न्यायालय में पेश है। इस कारण अपील पेश करने मे जो देरी हुई है अपीलान्ट द्वारा जानबूझ कर नही की गई है और उक्त देरी के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। जो स्वीकार होने योग्य है। इस कारण उक्त अपील को न्याय के सिद्धान्त पर स्वीकार कर नामान्तरण सं0 531 निरस्त कर उक्त वर्णित आराजीयात में स्व0 राधू पिता काना के जायज वारीस अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं0 9 व 10 के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

यह कि उक्त अपील न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे होने से उचित न्याय शुल्क मय सम्मन प्रोसेस व आवश्यक नकलो के साथ अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना है कि अपीलान्टगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण सं0 531 दिनांक 05.05.2021 को निरस्त फरमा कर उक्त वर्णित आराजीयात जो मृतक राधु पिता काना काच्छी के नाम दर्ज थी उसकी बजाय उनके जायज वारीस अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं0 9 व 10 के नाम दर्ज करने हेतु पुनः नामान्तरण खुलवाये जाने का आदेश प्रदान करे तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 5 व 11 व 12 अपील में वर्णित आराजीयात का हस्तान्तरण किसी भी रूप में नही करे व राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन न करने का आदेश प्रदान करे।

हमने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से उक्त के विरूद्ध दिनांक 15.09.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2, 4, 7 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से उक्त के विरूद्ध दिनांक 07.04.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 12 भूमिधारी तहसीलदार कपासन द्वारा जवाब इकबालिया प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नामान्तरण संख्या 531 जो ग्राम पंचायत बालारडा द्वारा दिनांक 05.05.2021 को निर्णित किया गया। उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर रेकार्ड दुरूस्ती के आदेश फरमावें। प्रकरण में तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मृत्तक राधु पुत्र काना जाति काच्छी का विरासत नामान्तरकरण पटवारी पटवार हल्का बालारडा द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो नामान्तरण संख्या 531 जो ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:48:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पंचायत बालारडा द्वारा दिनांक 05.05.2021 को कोरम में निर्णित किया गया। राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 224 पर अंकित राधु पुत्र काना की विरासत पटवारी हल्का द्वारा नाम अक्षरों की समानता के कारण राधु पुत्र किशना वारिसान के गोपी, डायली, मुन्ना पिता राधु, तुलसीराम पिता राधु, पानीबाई पत्नि राधु दायर किया गया एवं इसी प्रकार भू0 अभि0 निरीक्षक द्वारा जांच कर पंचायत द्वारा निर्णित किया गया। लेकिन विरासत नामान्तरकरण संख्या 531 के दौरान नाम अक्षरों की समानता के कारण उक्त नामान्तरकरण में राधु पुत्र काना के खाते पर भी विरासत नामान्तरकरण दर्ज हो गया है जो गलत है। अतः ग्राम काच्छीयाखेडी के वर्तमान खाता संख्या 224 में दर्ज राधु पुत्र किशना के वारिसान के नाम जो त्रुटिपूर्ण होकर राधु पुत्र काना के वारिसान चेनराम, लक्ष्मण, हेमराज, लालुराम पिता राधु ,नाराणी, झमकु, बाली पिता राधु जाति काच्छी के नाम दर्ज शुद्ध किया जाना है जो श्रीमान् के न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है। अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम काच्छियाखेडी के नामान्तरकरण संख्या 531 को निरस्त फरमाने का आदेश फरमावें। जिससे सही एवं शुद्ध नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सके।

हमने वकील अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि नामान्तरण सं0 531 दिनांक 05.05.2021 को निर्णित हुआ है जिसका ज्ञान अपीलान्ट को दिनांक 19.07.2021 को हुआ जिसकी नकले दिनांक 22.07.2021 को प्राप्त की तत्पश्चात अपीलान्ट सं0 3, 4 व 5 बाहर गांव होने से अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कराने अपीलान्ट सं0 एक को अपीलान्ट सं0 3, 4 व 5 के गांव जाकर हस्ताक्षर कराने पडे हस्ताक्षर करा उक्त अपील दिनांक 30.07.2021 को आप न्यायालय में पेश है। इस कारण अपील पेश करने मे जो देरी हुई है अपीलान्ट द्वारा जानबूझ कर नही की गई है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गुजरी अवधि को कण्डोन किया जाने की आज्ञा प्रदान करावें। पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार कपासन से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर व अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिया जाता है कि ग्राम पंचायत बालारडा द्वारा पारित आदेश इन्तकाल संख्या 531 दिनांक 05.05.2021 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कपासन को अपील इस आशय से रिमाण्ड की जाती है कि मृत्तक राधु पुत्र काना व राधु पुत्र किशना जाति काच्छी के वारिसान की जांच कर नवीन सिरे से नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करे। तहसीलदार कपासन को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:48:47 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official